भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2599**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023/13 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कमी और अपर्याप्त आपूर्ति

2599. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों के समक्ष आ रही उर्वरकों की कमी और अपर्याप्त आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा विशेषकर बिहार में वर्ष और राज्य-वार क्या पहल की गई है; और
(ख) सरकार द्वारा देश में किसानों की सहूलियत हेतु उर्वरकों की वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): पिछले 3 वर्ष के दौरान बिहार सहित सभी राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता सहज रही है। बिहार सहित देश में उर्वरकों की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से और समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का राज्य-वार और माह-वार आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

v. डीएएंडएफडब्ल्यू और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

vi. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए आयात को भी समय से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

(ख): देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक विभाग की एक सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला तथा वितरण प्रणाली है। तथापि, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर जिलों में उर्वरकों का वितरण करना संबंधित राज्य सरकारों का अधिदेश है।

****